दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 19 अगस्त 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 320

महत्वपूर्ण एवं खास

ईडी का बड़ा एक्शन, मुख्तार अंसारी के घर समेत करीबियों के यहां छापेमारी

लखनऊ (आरएनएस)। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी में घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है। मुख्तार अंसारी के गाजीपुर स्थित मुहम्मदाबाद घर पर और उनके करीबियों के यहां भी छापेमारी की है। ईडी की कई टीमें अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही हैं। बताया जा रहा है कि ईडी टीम आज सुबह ही मुहम्मदाबाद स्थित मुख्तार अंसारी के पैतृक घर पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों विक्रम अग्रहरी, गणेश मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। साथ ही ईडी टीम ने खान बस सर्विस के मालिक के ठिकानों पर भी छापा मारा है। सूत्रों की मानें तो दिल्ली और यूपी मिलाकर बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों से जुड़े 11 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्यों, सीए और करीबी सहयोगियों के यहां भी रेड चल रही है। दिल्ली, लखनऊ और गाजीपुर समेत कई ठिकानों पर यह कार्रवाई जारी है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के सदस्यों द्वारा संचालित भूमि हथियाने और अवैध व्यवसायों से संबंधित कई मामलों के आधार पर 1 जुलाई, 2021 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। बता दें कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है।

जेल में हुई कैदी की हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा एक्शन, 15 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा

जमशेदपुर (आरएनएस)। जमशेदपुर की घाघीडीह सेंट्रल जेल में वर्ष 2019 में कैदियों के दो गुटों की हिंसक झड़प के दौरान मनोज सिंह नामक कैदी की हत्या के मामले में जिला अदालत ने दोषी पाये गये 15 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। इसी मामले में 7 अभियुक्तों को जानलेवा हमले का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है। जमशेदपुर के एडीजे-4 राजेंद्र सिन्हा ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर बहस पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया। जिन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है उनमें श्यामु जोजो, पंचानन पात्रो, पिंकू पूर्ती, अजय मल्लाह, अरुप कुमार बोस, रामराय सुरिन, रमाय करुआ, गंगाधर खंडैत, रमेश्वर अंगारिया, गोपाल तिरिया, शरत गोप, वासुदेव महतो, जानी अंसारा, शिव शंकर पासवान और संजय दिग्गी शामिल हैं। जिन लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई है उनमें शोएब अख्तर, मो तौकिर, अजीत दास, सोनु लाल, सुमित सिंह, ऋषि लोहर और सौरभ सिंह शामिल हैं। जेल के अंदर की यह वारदात वर्ष 2019 में 26 जून को हुई थी। यहां कैदियों के दो गुट वर्चस्व को लेकर भिड़ गये थे। दोनों ओर से जमकर लाठी-डंडे और पत्थर चले थे। इसमें बुरी तरह घायल दो कैदियों मनोज सिंह और सुमित सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां मनोज सिंह ने दम तोड़ दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गयी थी। मनोज सिंह दहेज प्रताडऩा मामले में 10 वर्ष की सजा मिलने के बाद जेल में बंदी थे। इसी मामले के आरोपी हरीश सिंह, अविनाश श्रीवास्तव और जेल के चार कक्षपाल के खिलाफ अदालत में अलग से सुनवाई होगी।

चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, जम्मू-कश्मीर में रह रहे बाहरी लोग भी डाल सकेंगे वोट

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट डाल सकते हैं। इनमें कर्मचारी, छात्र, मजदूर या देश के दूसरे राज्यों के वे व्यक्ति शामिल होंगे जो आमतौर पर जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं। वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जम्मू-कश्मीर में होने वाले चुनाव में वोट कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को मतदाता के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए अधिवास की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य राज्यों के सशस्त्र बल के जवान जो जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ सकते हैं।

चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि गैर-स्थानीय लोगों के लिए मतदान के लिए कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जम्मू कश्मीर में कितने समय से रह रहा है। गैर स्थानीय जम्मू कश्मीर में रह रहा है या नहीं इस पर अंतिम फैसला ईआरओ करेगा। यहां किराए पर रहने वाले भी मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में शामिल होने की एकमात्र शर्त यह है कि व्यक्ति ने अपने मूल राज्य से अपना मतदाता पंजीकरण रद्द कर दिया हो। आयोग के इस फैसले से मतदाता सूची में करीब 20 से 25 लाख नए मतदाता शामिल होंगे।

चुनाव आयुक्त के इस फैसले पर पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 'पहले 'जम्मू-कश्मीर में चुनावों को स्थगित करने का भारत सरकार का निर्णय और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट देने की अनुमति देना, यह भाजपा के पक्ष में चुनाव परिणामों को प्रभावित करना के संकेत हैं। असली उद्देश्य स्थानीय लोगों को शक्तिहीन करने के लिए जम्मू-कश्मीर पर सख्ती से शासन करना जारी रखना है।

जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो गई है। विधानसभा सीटों की संख्या में वृद्धि के साथ मौजूदा मतदाता सूची में व्यापक बदलाव आया है। अब नए ढांचे के अनुसार मतदाता सूची तैयार की जा रही है।

पूरे जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, हालांकि जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त की तैयारियों को देखते हुए इसे रोक दिया गया था। इससे पहले अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए 31 अक्टूबर की समयसीमा तय की गई थी, हालांकि इसे अब 25 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू कश्मीर में नए मतदान केंद्र बन रहे हैं और मतदान केंद्रों की संख्या 11,370 हो गई है। जम्मू कश्मीर में 15 सितंबर से 25 अक्टूबर तक समरी रिवीजन के दौरान जम्मू कश्मीर में कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां लोग मतदाता के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वोटर लिस्ट में नाम को आधार कार्ड के जरिए जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, एक अक्टूबर 2022 से 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोग अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।

कारम डैम बनाने का ठेका लेने वाली कंपनी ब्लैक लिस्टेड

इंदौर। आरएनएस

304 करोड़ की कारम डैम परियोजना में 99.86 करोड़ का ठेका लेने वाली एएनएस कंस्ट्रक्शन कंपनी नई दिल्ली को जल संसाधन विभाग ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इस संबंध में इंदौर स्थित जल संसाधन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही इसके काम का 50 फीसदी हिस्सा लेने वाली सबलीज कंपनी सारथी कंस्ट्रक्शन को भी ब्लैक लिस्ट करने का आदेश जारी हुआ है। आदेश की पुष्टि करते हुए चीफ इंजीनियर सीएस घटोले ने कहा कि विभाग ने अपनी ओर से कार्रवाई करके आदेश पत्र जारी कर दिया है। इस मामले में काम डैम को जो भी नुकसान पहुंचा है। उसका पूरा रिपेयरिंग का काम भी कंपनी को ही करना होगा। हालांकि यह कार्रवाई जल संसाधन विभाग के स्तर पर हुई है लेकिन अभी इसमें विभाग की ओर से कौन जिम्मेदार थे और ठेकेदार कंपनी पर क्या कानूनी कार्रवाई करना है, इस पर अभी प्रक्रिया बाकी है। माना जा रहा है कि विशेषज्ञों की बनी चार सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट ताने के बाद शासन स्तर पर इसमें फैसला लिया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। ऑपरेशन कारम डैम में कमिश्नर के साथ हर पले बने रहे अधिकारी - कारम डैम को खाली कराने के लिए अधिकारियों की पूरी टीम को संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा लीड कर रहे थे। इस दौरान आईजी ग्रामीण राकेश गुप्ता और डीआईजी ग्रामीण चंद्रशेखर सोलंकी पूरी समय उनके साथ थे। वहीं इंदौर संभागायुक्त कार्यालय से उपायुक्त रजनीश कसेरा भी पूरे समय तक उनके साथ बने रहे और उनके निर्देशन में गांव के विस्थापन से लेकर अन्य व्यवस्थाओं को देखने का काम करते रहे। इस पूरी कोर टीम के साथ आबकी सभी ने तो मोर्चा संभाले रखा।

महाराष्ट्र के रायगढ़ में नाव में मिला अवैध हथियारों का जखीरा, एनआईए की टीम रवाना

नई दिल्ली (आरएनएस)। महाराष्ट्र के रायगढ़ के हरिहरेश्वर समुद्र तट पर संदिग्ध नाव में हथियारों का जखीरा मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पूरी घटना की जानकारी केंद्रीय एजेंसियों से साझा की है। जांच एजेंसी एनआईए भी पूरी घटना पर नजर बनाये हुए है। एनआईए मुंबई की एक टीम को भी रायगढ़ रवाना किया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर समुद्री तट पर एक संदिग्ध लाइफबोट मिली है, जिसमें 3 एके-47 राइफल और विस्फोटक बरामद हुआ है। घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से घटना की जानकारी ली है। भारतीय कोस्ट गार्ड और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी पूरी घटना पर नजर रखे हुए है। एनआईए की एक टीम को रायगढ़ रवाना किया गया है।

अभी तक की जानकारी के मुताबिक नाव का नाम लेडीहान है और ये मस्कट से यूरोप की तरफ जा रही थी। ये नाव एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के नाम से रजिस्टर है। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के मुताबिक समुद्र में नाव का इंजन फटा और लोगों को निकालने के बाद ये नाव बहकर रायगढ़ के समुद्र तट पर पहुंच गई। इसके बाद भी प्रशासन कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता।

महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि पूरे मामले की हर एंगिल से जांच की जा रही है। इसके अलावा संबंधित केंद्रीय एजेंसियों से भी घटना की जानकारी साझा की गई है। गौरतलब है कि त्योहारों का सीजन होने के चलते रायगढ़ के पूरे इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। एनआईए की टीम भी जांच में शामिल होने रवाना की गई है।

टेरर कनेक्शन पर एसटीएफ का बड़ा एक्शन, अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी दबोचे

बेंगलुरु (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में टेरर कनेक्शन को लेकर एक बड़ा एक्शन सामने आया है। राज्य पुलिस की विशेष कार्यबल (एसटीएफ) इकाई ने शासन थाना क्षेत्र के खारीबाड़ी से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अलकायदा के दो संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया। वे भारतीय उप-महाद्वीप में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल-कायदा के सक्रिय सदस्य हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक स्पेशल टास्क फोर्स ने बीती रात करीब 8 बजे दोनों को हिरासत में लिया।

एसटीएफ सूत्रों का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान

गंगारामपुर, जिला दक्षिण दिनाजपुर निवासी अब्दुर रकीब सरकार और हुगली जिले के आरामबाग निवासी काजी अहसन उल्लाह के रूप में हुई है।

पश्चिम बंगाल पुलिस के एसटीएफ ने दावा किया कि उनके कब्जे से भारत के खिलाफ युद्ध छेडऩे का संकेत देने वाले कई कट्टरपंथी साहित्य जब्त किए गए हैं। हिरासत में लिए गए दो आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी के तमाम धाराओं के तहत एक विशिष्ट मामला दर्ज किया जा रहा है और अन्य 17 एफआईआर का नाम अब तक की पूछताछ के दौरान सामने आया है।

आतंकवादी सैफुल्ला 5 साल से इंटरनेट के जरिए ले रहा था आतंकी गतिविधियों की जानकारी

इधर, यूपी के फतेहपुर से लखनऊ एटीएस की टीम ने हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला को देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने चलते गिरफ्तार किया था। अब उसने अपने कई राज उगले हैं। सैफुल्ला ने बताया कि पिछले 5 साल से वह इंटरनेट के जरिए आतंकी गतिविधियों की जानकारी ले रहा था। वह आतंकी संगठनों से प्रभावित था क्योंकि वह भारत को इस्लामिक देश बनाने का सपना देख रहा था।

उसने बताया कि करीब ढाई साल पहले सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों के ग्रुप से जुड़ा। उसने अपने आसपास के युवाओं को जोडऩे का अभियान चलाया था। उसके ग्रुप में फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज के युवा जुड़े थे। उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, कश्मीर और गुजरात में भी आतंक से जुड़े सक्रिय लोगों की पुष्टि की है।

करोड़ों की प्रॉपर्टी, लग्जरी कारें-फार्महाउस, घर में थिएटर, शिकायत के बाद ईओडब्लू ने आरटीओ अफसर के आवास पर मारी रेड

भोपाल (आरएनएस)। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संतोष पाल के शताब्दीपुरम स्थित घर पर बुधवार रात ईओडब्ल्यू टीम ने छापामार अंदाज में सर्च कार्रवाई शुरू की। रात करीब 10.30 बजे टीम ने डोरवेल बजाकर आरटीओ के घर का दरवाजा खुलवाया। घंटी की आवाज सुनकर आरटीओ पाल ने स्वयं दरवाजा खोला। टीम भीतर पहुंची तो आरटीओ का आलीशान घर और भीतर रखा साजो-सामान देखकर अवाक रह गई। छापेमारी में संतोष पाल धन कुबेर निकला क्योंकि यहां से आय से 600 गुना ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है।

दरअसल, ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई में संतोष के पास से 6 आलीशान मकान, 1 फार्म हाउस, दो कार और मोटर साइकिल बरामद हुई। और बताया जा

रहा है कि यह सब सपंत्ति काली कमाई से अर्जित की गई है। अब तक की कार्यवाई में ईओडब्ल्यू ने 16 लाख कैश, सोने, चांदी के जेवर बरामद किए हैं।

जानकारी के अनुसार संतोष पाल के 10 हजार वर्ग फुट में बने आलीशान घर को देखकर ईओडब्ल्यू की टीम हैरान भी रह गई। बेसमेंट वाली तीन मंजिला घर में सारा सामान लग्जरी था। घर में लिफ्ट से लेकर महंगी शराब रखने की लकड़ी का केस, गार्डन, स्विमिंग पूल, झूमर, थिएटर और अन्य ऐसी चीजे घर पर दिखी।

बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद ईओडब्ल्यू ने संतोष के घर पर छापेमारी की। जिसके लिए स्पेशल कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे। संतोष के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की याचिका लगी थी। जिसके बाद अब संतोष पॉल और उनकी पत्नी रेखा पॉल की मुश्किल बढ़ सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से संतोष को घर में पढऩे वाले छापे की भनक लग चुकी थी। जिसके बाद संतोष ने कुछ लग्जरी सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। इसलिए ईओडब्ल्यू की 30 सदस्यों टीम को देर रात छापा मार कार्रवाई करनी पड़ी।

वहीं पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू ने कहा कि सर्चिंग अभी जारी है। संपत्ति, दस्तावेज के जो भी साथ में लेंगे उनके आधार पर आरोपित की संपत्ति का आकलन किया जाएगा। साथ ही इसके संतोष पाल व और उनकी पत्नी रेखा पाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

कार्रवाई के दौरान संतोष पोल की पत्नी रेखा पाल घर में मौजूद नहीं थी। जिसके बाद टीम को आशंका है कि एआरटीओ संतोष पाल के द्वारा जरूरी दस्तावेज व समान कहीं भेज कर छिपा दिया गया है।

बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में फिल्मी स्टाइल में लूट, खुद को सीबीआई अफसर बताकर 35 लाख ले उड़े बदमाश

जमशेदपुर (आरएनएस)। जमशेदपुर शहर के मानगो स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर घुसे चार अपराधियों ने 30 से 35 लाख रुपये लूट लिये हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद चारों अपराधी बैंक का शटर बाहर से बंद कर भाग निकले। वारदात गुरुवार दोपहर की है। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा है कि पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है।

घटना के वक्त बैंक में मौजूद लोगों के अनुसार बैंक में घुसे चार लोगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए सभी बैंककर्मियों और ग्राहकों के मोबाइल ले लिये और इसके बाद हथियार के बल पर बैंक से रुपये लूट लिये। एक महिला ग्राहक ने बताया वह अपने पति के साथ बैंक पहुंची तो गेट पर दो लोग खड़े थे। उन्होंने उन्हें गेट खोलकर अंदर करने के बाद मोबाइल जब्त कर लिया और चुपचाप बैठ जाने की धमकी दी। सभी अपराधियों के हाथ में हथियार थे। उन्होंने कपड़े से चेहरा ढंक रखा था। लगभग 15 मिनट में घटना को अंजाम देकर अपराधी बैग लेकर निकल गए। भागते हुए डकैतों ने बैंक के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की छानबीन चल रही है। लूटी गई रकम लगभग 30 से 35 लाख रुपये बतायी जा रही है।

रेप केस में राहत के लिए एससी पहुंचे शाहनवाज हुसैन, हाई कोर्ट ने दिया था एफआईआर का आदेश

नई दिल्ली (आरएनएस)। रेप के मामले में एफआईआर से बचने के लिए भाजपा के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ रेप केस में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और तीन महीने में जांच पूरी करने की समयसीमा भी तय की थी। उस आदेश पर रोक की मांग को लेकर ही अब शाहनवाज हुसैन शीर्ष अदालत पहुंच गए हैं। 2018 के रेप मामले में हाई कोर्ट का आदेश शाहनवाज हुसैन के लिए करारा झटका माना जा रहा है। शाहनवाज के वकील ने उनकी अर्जी को चीफ जस्टिस एनवी रमना की बेंच के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए पेश किया है।

शाहनवाज हुसैन के वकील ने कहा कि इस मामले की तत्काल सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि देरी होने पर एक राजनीतिक नेता की छवि खराब हो सकती है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई की जाएगी। शाहनवाज के वकील ने शीर्ष अदालत में कहा, 'मेरे मुवक्किल का 30 सालों का सार्वजनिक जीवन है। उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है। यदि इस पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी और ऐसी स्थिति में इस अर्जी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। बता दें कि बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि शाहनवाज हुसैन की याचिका की कोई मेरिट नहीं है। इसलिए उसे खारिज किया जाता है। अदालत ने कहा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और तीन महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए कि कितनी जांच हुई है और क्या पाया गया है। जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने अपने आदेश में कहा, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से एफआईआर का जो आदेश दिया गया है, उसमें कोई खामी नहीं पाई गई है।

मद्रास हाईकोर्ट ने पनीरसेल्वम के पक्ष में फैसला दिया, ईपीएस गुट से बढ़ सकती है तकरार

चेन्नई (आरएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला ओपीएस के पक्ष में आने के बाद ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) और एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) के नेतृत्व वाले गुटों के बीच संघर्ष और बढ़ सकता है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने बुधवार को 23 जून की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसका मतलब था कि ओपीएस समन्वयक के रूप में और पलानीस्वामी एआईएडीएमके के संयुक्त समन्वयक के रूप में काम करेंगे। इस प्रक्रिया में अदालत ने ईपीएस को अंतरिम महासचिव के रूप में नियुक्त करने और ओपीएस

और उनके करीबी लोगों को पार्टी से निष्कासित करने के 11 जुलाई के जनरल काउंसिल (जीसी) के फैसले को रद्द कर दिया।

मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले को ईपीएस गुट द्वारा चुनौती दिए जाने की संभावना है। ईपीएस के करीबी विश्वासपात्र के.पी. मुनुस्वामी ने बुधवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि वे फैसले का पूरा अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

जहां ओपीएस गुट को अन्नाद्रमुक पर कब्जा करने के लिए सत्ता संघर्ष में राहत मिली है, वहीं दोनों नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के बीच युद्ध के आगे बढऩे की संभावना है। 23 जून को पहली सामान्य परिषद की बैठक के दौरान ईपीएस के करीबी लोगों द्वारा ओपीएस को उकसाया और अपमानित किया गया था।

गौरतलब है कि ओपीएस ने ईपीएस को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। मीडियाकर्मियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या ईपीएस को पार्टी में वापस लिया जाएगा, ओपीएस ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार 23 जून को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इसे एक उम्मीद की किरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यथास्थिति का अर्थ है, ईपीएस को संयुक्त समन्वयक के रूप में बनाए रखा जाएगा।

राजनीतिक विश्लेषकों और सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन के निदेशक, डॉ.आर पद्मनाभन ने हालांकि कहा कि दोनों नेताओं के बीच लड़ाई कम से कम कुछ समय के लिए बढ़ेगी, क्योंकि ओपीएस को थेवर समुदाय का भी सक्रिय समर्थन मिला है।

उन्होंने यह भी कहा कि अन्नाद्रमुक के दो मुख्य नेताओं के बीच लगातार लड़ाई से अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा और इससे पार्टी प्रभावित होगी।